



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122022-241300
CG-DL-E-22122022-241300

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5734]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2022/अग्राहायण 30, 1944

No. 5734]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022/AGRAHAYANA 30, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5972(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा एयर कंडीशनर और इसके संबद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:-

1. (1) इस आदेश को एयर कंडीशनर और इसके संबद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा।

2. एयर कंडीशनर और इसके संबद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में पैरा 1 के उप-पैरा (2) में '01 जनवरी, 2023' शब्दों और अंकों को '01 अक्टूबर, 2023' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 29014/63/2017-एलईआई]

अनिल अग्रवाल, अपर सचिव

नोट : मुख्य आदेश का.आ. 4354 (अ), दिनांक 5 दिसंबर, 2022 के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित किया गया था तथा बाद में का.आ. 1518 (अ) दिनांक 18 मई, 2020,

का.आ. 4671(अ) दिनांक 22 दिसंबर, 2020 और का.आ. 5095 (अ) दिनांक 8 दिसंबर, 2021 के जरिए इसमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 21st December, 2022

S.O. 5972(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following order further to amend the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressors and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Order, 2019, namely:-

1. (1) This order may be called the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressors and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressors and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Order, 2019, in paragraph 1, in sub-paragraph (2), for the words and figures “the 1st January, 2023”, the words and figures “1st October, 2023” shall be substituted.

[F. No. 29014/63/2017-LEI]

ANIL AGRAWAL, Addl. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4354(E), dated the 5th December, 2019 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 1518(E), dated the 18th May, 2020, S.O. 4671(E), dated the 22nd December, 2020 and S.O. 5095(E), dated 8th December, 2021.